



एस० आर०/S. R.-1

## छुट्टी की अर्जी का फार्म FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुपूरक नियम 216 देखिये)/(See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी :- मद सं० 1 से 11 तक प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।  
Note :- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. प्रार्थी का नाम/Name of applicant.....
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली/Leave rules applicable.....
3. पद/Post.....
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग/Department, Office and Section.....
5. वेतन/Pay.....
6. वर्तमान पद पर मिलने वाले मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते ।  
House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.....
7. मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख  
Nature and period of leave applied for and date from which required.....
8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं ।  
Sunday and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave.....
9. छुट्टी का कारण  
Ground on which leave is applied for.....
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि ।  
Date of return from last leave and the nature and period of that leave.....
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में .....के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा का रियायत लेने का है/नहीं है ।  
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years .....during the ensuing leave.
12. (क) मैं वचन देता हू कि आंसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे आंसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर को उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुगत्य न होती ।  
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81 (b) (ii) rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.